भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 790
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय

790. श्री जय प्रकाश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में हाल ही में हुए कथित बलात्कार और हत्या के मामले के बाद देशभर में कार्यस्थलों पर स्वास्थ्यकर्मियों के लिए और अधिक कठोर सुरक्षा उपाय किए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' तथा 'कानून और व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए, स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए घटनाओं और घटनाक्रमो पर ध्यान देना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

तथापि, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डाक्टर के साथ तथाकथित बलात्कार और हत्या की हाल ही की घटना के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों/संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को एडवाइज़री जारी की है कि वे चिकित्सा पेशेवरों पर हिंसा की किसी घटना के 6 घंटे के भीतर संस्थान द्वारा एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षा बढ़ाने और चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उपाय (**अनुलग्नक**) करने की सलाह दी गई थी।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा, कार्य करने की दशाओं और चिकित्सा पेशेवरों के कल्याण और अन्य संज्ञेय मामलों से संबंधित चिंता के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया है। एनटीएफ ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

अनुलग्नक

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के भाग (क) से (ख) संदर्भित अनुलग्नक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए हाल ही में जारी किए गए एडवाइजरी का सार

i. स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्य कानूनों और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संगत धाराओं के साथ-साथ दंडात्मक/जुर्माना विवरण को स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में अस्पताल परिसर के अंदर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना।

ii. उचित सुरक्षा उपायों की कार्यनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करते हुए 'अस्पताल सुरक्षा समिति' और 'हिंसा रोकथाम समिति' का गठन।

iii. अस्पताल के प्रमुख क्षेत्रों में आम जनता और मरीज के रिश्तेदारों के लिए पहुँच का विनियमन। मरीज के परिचारकों/रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास नीति।

iv. रात्रि ड्यूटी के दौरान विभिन्न ब्लॉकों और छात्रावास भवनों तथा अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में रेजिडेंट डॉक्टरों/नर्स की सुरक्षित आवाजाही का प्रावधान।

v. आवासीय ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक और अन्य अस्पताल परिसर के सभी क्षेत्रों के अंदर उचित प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

vi. रात्रि के दौरान सभी अस्पताल परिसरों में 'नियमित सुरक्षा गश्त'।

vii. अस्पतालों में 24x7 मानवयुक्त सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना।

viii. निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ निकट संपर्क स्थापित करना।

ix. अस्पताल में 'यौन उत्पीड़न पर आंतरिक समिति' का गठन।

x. अस्पताल परिसर के अंदर सभी सीसीटीवी कैमरों (संख्या और कार्यक्षमता) की स्थिति का जायजा लेना और इसके लिए आवश्यक कार्यान्वयन/उन्नयन।

xi. उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करना ताकि अधिक संख्या में आने वाले अस्पतालों की पहचान की जा सके और उन्हें सुरक्षा सुधारों के लिए उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में माना जा सके।

xii. सुरक्षा उपायों का आकलन और सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य, पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना।

xiii. आपातकालीन कक्ष, ट्राइएज क्षेत्र और गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) और लेबर रूम जैसे सुरक्षा उल्लंघनों की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

xiv. सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उचित संचालन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, एक मानवयुक्त केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से कैमरों की नियमित निगरानी हो।

xv. स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किसी भी अप्रिय घटना के वीडियो फुटेज को स्थानीय पुलिस के साथ त्वरित प्रतिक्रिया और जांच की सुविधा के लिए साझा करने के लिए एक प्रोटोकॉल की स्थापना।

xvi. सुरक्षा कर्मियों को तकनीकी रूप से उन्मुख और सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाना। अस्पतालों के चिन्हित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों (पुनर्वास महानिदेशालय से) को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त करना। साथ ही, राज्य के अपने सुरक्षा बलों से ऐसे जनशक्ति का पता लगाना।

xvii. अस्पतालों में आंतरिक सुरक्षा समिति का गठन जिसमें निवासियों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो; साथ ही घटना की प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट एसओपी निर्धारित करना।

xviii. अस्पतालों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मचारियों की मजबूत पृष्ठभूमि की जांच।

xix. सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए गहन और भावनात्मक शोक स्थितियों को संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण और शोक प्रोटोकॉल की स्थापना।

xx. अस्पताल के अंदर रोगी से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए रोगी सुविधादाताओं/एमटीएस की तैनाती, जिसके लिए रोगियों को निदान से उपचार के लिए ले जाना या स्थानांतरित करना आवश्यक है।

xxi. हेल्प-डेस्क चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति, रोगियों को अस्पताल की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करना।

*****